अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– ....04/07/2022........ से ....21/07/2022........

जिला– बोकारो, संख्याः– 02/2022–23

केस का प्रकारः– विविध वाद

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	आवेदक डोमन महतो पिता स्व0 रेरम महतो, ग्राम अमलो बस्ती, थाना बेरमो, जिला बोकारो द्वारा आवेदित किया गया है कि सूर्य नारायण महतो पिता स्व0 मंगर महतो, ग्राम+पो0 चपरी, थाना नावाडीह, जिला बोकारो को दिनांक 12.08.1996 में निबंधन कार्यालय बेरमो (तेनुघाट), जिला बोकारो से केवाला कय किये थे जिसका दाखिल खारिज वर्ष 1998–99 में निबंधन कार्यालय बेरमो तेनुघाट से किया है जिसका दाखिल खारिज केश नं0 445/1998–99 है। पंजी ।। के पृष्ठ सं0 162/IV में ऑफलाईन रसीद निर्गत हुआ है, जिसका खाता सं0 76, प्लॉट सं0 1438, रकबा 0.05 ए0 है। मैं अपना जमीन को घर बनाने के लिए जे0सी0बी0 से समतल कर बुनियाद कटा कर दिवाल का कार्य शुरू किये थे। उसी समय जितेन्द्र महतो पिता नारायण महतो, मनोज महतो पिता मोहन महतो ने घर बनाने से रोक दिया। रोकने से लगभग 6 माह हो गया। लेकिन वो सब ना कुछ कागज दिखा रहा है और न मापी करा कर अपना जमीन निकाल रहा है। आवेदक द्वारा उचित निर्णय देकर दखल दिलाने का अनुरोध किया गया है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक से प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक....20/07/2022.... को उपस्थापित करें। Anha 04/07/2022 अंचल अधिकारी नावाडीह। अभिलेख उपस्थापित। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त हुआ। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चपरी, थाना सं0 73, खाता सं0 76, प्लॉट सं0 1438, रकबा 0.05 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। उक्त भूमि के पूर्व रैयत सूर्य नारायण महतो पिता मंगर महतो है। जिसका रसीद ऑनलाईन पंजी ।। से वर्ष 2008–09 तक रसीद निर्गत है। उक्त रैयत से ही आवेदक ने 0.05 ए0 भूमि कय किया है जिसका केवाला सं0 2821/12.08.1996 है तथा रसीद वर्ष 1998–99 से निर्गत है। भूमि पर आवेदक का दखल है तथा मकान निर्माण हेतु बुनियाद खोद दिया है। परन्तु द्वितीय पक्ष के रैयत जितेन्द्र महतो पिता नारायण महतो, मनोज महतो पिता मोहन महतो, ग्राम चपरी द्वारा कार्य करने पर रोक लगा दिया है।	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	दोनों पक्षों को भूमि संबंधी कागजात के साथ उपस्थित होने के लिये नोटिस निर्गत करें। Asinha अंचल अधिकारी, नावाडीह। तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख दिनांक 26/07/2022 को उपस्थापित करें। Asinha 20/07/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
26/07/2022	अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला, रसीद एवं शुद्धि पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। चूँकि वर्णित भूमि पर दखल कब्जा संबंधित विवाद है एवं यह मामला स्वत्व का है जिसका निराकरण अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। आवेदक सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। Asinha 26/07/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह। Asinha 26/07/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.01.30 14:08:32 +05:30
Location: 192.168.43.111

Scanned with CamScanner